RAJ-0-20/20

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इत्तिफाकन्ना जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। Ad. अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पोडेंटगण स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा आदेश 22 नियम 4, 9 CPC 151 प्रस्तुत कर रे.स. 4, 5 मौत हो जाने से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया जिस पर रेस्पोडेंटगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किये जाने से मृतक रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। रेस्पोडेंटगण द्वारा आज दिनांक 6.10.25 को अपील मंजूर कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रास्ते का आवेदन विड्रो करने की स्वीकृती प्रदान करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेंटगण कि स्वीकृती के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 10.10.2019 अपास्त किया जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कि जाती है की उभयपक्ष को पुनः सुनकर धारा 251-A RTA Act. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में 5/12/2025 को उपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख [illegible] पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शा. प. रहे। 6.10.25 अ. प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)	3 अपि. दर्ज प्रार्थी 2- उपस्थित 3- कोर्ट Reg AD रजि. के 1, 4, 6, 7 का प्र. 5 ह. प्रि- प्यारेलाल द: बाबुलाल किशनलाल गणेशलाल द. रामलाल मोतीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 20/2020 कस्तूर व अन्य बनाम नेनालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी की आराजी नंबर ग्राम आसन जोगेला, तहसील देवगढ़ में स्थित है, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। प्रार्थीगण विपक्षी के खाते की आराजी नंबर 1794 व 1795 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा से अपने कुंए एवं अपनी आराजीयात पर सदियों से आते–जाते हैं, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः विपक्षी के खाते की आराजी नंबर 1794 व 1795 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि के बीच में से प्रार्थीगण की आराजीयात में मुख्य रास्ता आम सड़क से अपने खेतों व कुंए पर आने–जाने के लिए 20 फिट चौडा व 150 फिट लम्बा रास्ता प्रारम्भिक कोने से अंतिम कोने तक दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.10.2019 को निर्णय पारित करते हुए रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 01.12.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नेनालाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाबूलाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 नरेन्द्र कुमार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 किशनलाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 रामलाल एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 गणेशलाल स्वयं उपस्थित हुए तथा "प्रार्थना पत्र अपील मंजूर कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रास्ते का आवेदन विड्रो करने की स्वीकृति प्रदान कराये जाने बाबत्" प्रस्तुत कर निवेदन किया कि समय व परिस्थिति में परिवर्तन के पश्चात् हम रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय में चाहे गये रास्ते की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे अधीनस्थ न्यायालय में हमारे द्वारा ... रास्ते के आवेदन को विड्रो करने की स्वीकृति के साथ ... आदेश निर्णित फरमाया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत किये ... के कारण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासनिक अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि स्वयं रेस्पोडेन्टगण अधीनस्थ न्यायालय में अपना रास्ते बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रो कराना चाहते हैं तथा अब उन्हें रास्ते अब उन्हें रास्ते की आवश्यकता नहीं होने से रास्ता नहीं चाहते हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट कथन किया गया है कि प्रार्थीगण स्वयं की भूमि से आने–जाने का रास्ता मौजूद है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है, न ही पटवारी हल्का द्वारा जो रास्ता सुझाया गया है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि मौका पर्चा अपीलान्ट/विपक्षी की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 209/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.12.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

संशोधित अनवान

सेवामें,

माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी,

उदयपुर (राज0)

श्री कस्तुर तेली वगैरा बनाम श्री नेनालाल कलाल वगैरा

प्रकरण संख्या 20/2020 अपील राजसमन्द

(1) श्री कस्तुर पिता गैना उर्फ गेनाराम जी तेली मृतक के बजायः–

(1/1) शंकरलाल पिता कस्तुर जी तेली

(1/2) प्रकाशचन्द्र पिता कस्तुर जी तेली

(1/3) सायरी देवी पत्नी कस्तुर जी तेली

(1/4) कमला पुत्री कस्तुर जी तेली

(1/5) पारस पुत्री कस्तुर जी तेली सभी उम्र वयस्क, निवासी आसन, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द (राज0)

(2) श्री डालचन्द पिता गिरधारी जी बलाई, उम्र वयस्क, निवासी आसन, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द (राज0) ––अपीलाण्ट्स

बनाम

(1) श्री नेनालाल पिता चम्पालालजी कलाल, उम्र वयस्क, निवासी आसन, जोगेला, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द (राज0)

(2) श्री बाबुलाल पिता रामलालजी कलाल, उम्र वयस्क, निवासी ठीकरवास, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज0)

(3) श्री प्यारेलाल पिता हिराजी तेली, उम्र वयस्क, निवासी ठीकरवास, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज0)

(4) श्री पन्नालाल कलाल मृतक के बजायः–

(4/1) नरेन्द्र कुमार पिता स्व0 पन्नालाल कलाल

(4/2) घनश्याम पिता स्व0 पन्नालाल कलाल

(4/3) नीला पुत्री स्व0 पन्नालाल कलाल

(4/4) नेनूदेवी बेवा स्व0 पन्नालाल कलाल सभी बालिग, जाति कलाल, निवासी आसन जोगेला, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

Advocate

(5) श्री रामलाल कलाल मृतक के बजायः–

(5/1) किशनलाल पिता श्री रामलाल

(5/2) प्रकाशचन्द्र पिता श्री रामलाल

(5/3) जगदीशचन्द्र पिता श्री रामलाल

(5/4) लाली पुत्री श्री रामलाल

(5/5) गंगादेवी पत्नी श्री रामलाल जाति कलाल, सभी बालिग, निवासी आसन जोगेला, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द

(6) रामलाल पिता गुलाबजी कलाल उम्र वयस्क, निवासी आसन, जोगेला, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द (राज0)

(7) श्री गणेशलाल पिता धन्नाजी कलाल, उम्र वयस्क, निवासी आसन, जोगेला, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द (राज0)

(8) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब देवगढ, जिला राजसमन्द (राज0) ––रेस्पोंडेण्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर देवगढ, बअनवान नैनालाल वगैरा बनाम कस्तुर मुकदमा नम्बर 209/2017 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान टिनेन्सी एक्ट निर्णय दिनांक 10/10/2019

स्थानः उदयपुर

दिनांकः 06/10/2025

हस्ताक्षर

Advocate

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested